‘भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण’ 2015-16

# “चंपारण की गाथागायन की पारंपरिक शैलियों, गाथागायकों, और प्रस्तुत करने वाले कलाकारों का आंकड़ा सृजन, सूचीकरण एवं दस्तावेजीकरण”

Amitesh Kumar

242, Kanishka Apartment

C & D Block, Shalimar Bagh

Delhi -110088

Ph. No. 9990366404

File No. 28-6/ICH-Scheme/2015-16/25

## Blue Print

**परिचय-**

चंपारण भारत के इतिहास और भूगोल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नवीन प्रयोग सत्याग्रह की शुरूआत यहीं से हुई थी. चंपारण उपजाऊ भूमि के लिये मशहुर हैं . इसी उपजाऊ भूमि में अनेक कलाएं पनपी हैं. जिसने चंपारण की सांस्कृतिक इतिहास का भी निर्माण किया है.

गाथागायन चंपारण की एक मुख्य सांस्कृतिक परंपरा है जो परंपरा से गायन और प्रदर्शन के द्वारा जनता के बीच प्रस्तुत किये जाते हैं. चंपारण की मुख्य भाषा भोजपुरी है अतः इस इलाके में प्रचलित इन शैलियों की भी भाषा भोजपुरी है. इस क्षेत्र में आल्हा, लोरिकायन, भरथरी, कुंवर विजयी, शोभानायक बंजारा, सती बिहूला, सोरठी बृजाभार, सारंगा सदाबृज, राजा भरथरी, इत्यादि जैसे अनेक लोकगाथाओं का प्रचलन है. जिसके प्रदर्शन की मुख्यतः दो शैलियां हैं गायन और मंचन. गायन में जहां कभी कभी अकेला गायक कई सत्रों में कथा जो कई कई दिनों तक चलने वालि होती है को संपन्न करता है वहीं मंचन में एक पूरा नाट्यदल कथा को मंचित करता है. यह कथाएं लोक में प्रचलित परंपरा, रीति-रिवाजों, जानकारियों का अक्षय स्रोत है जिसमें अनेक सामाजिक संदर्भ भी विन्यस्त होते हैं.

इन गाथाओं का श्रेणी निर्धारण भी किया जा सकता है. जैसे **वीरतापूर्ण गाथाओं** में 'लोरिकायन', 'कुंवर' 'विजयी', तथा 'आल्हा' आते हैं. इन गाथाओं के नायकों की वीरता का ओजपूर्ण शैली में गायन और मंचन किया जाता है. वीरतामय जीवन की विडंबना भी इन गाथाओं में उभर कर आती है.

'सोरठी बृजाभार', 'सारंगा सदाबृज', 'सती बिहूला' **प्रेम प्रधान गाथाएं** है. सोरठी बृजाभार और सती बिहूला में स्त्री के पतिव्रत धर्म को लौकिक धरातल पर उकेरा गया है जिनमें सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगो और रूपकों को देखा जा सकता है. इसकी मुख्य विशेषता है कि इनकी नायिकाएं साधारण स्त्रियां हैं.

'गोपीचंद' और भर्थरी **योगियों की गाथाएं** है. इनकी कथा का संबंध मक्षेन्द्रनाथ और गोरखनाथ के अनुयायियों के नाथ संप्रदाय से है.

इन गाथाओं के प्रदर्शन की शैलियां विविध हैं. 'सोरठी बृजाभार', 'सती बिहुला' और 'आल्हा' के नाट्यमंचन की विधिवत मंडलियां है जो कई रातों में खेल कर पूरी कहानी का मंचन कर दर्शकों को सुनाती है. इन सभी शैलियों का कथा गायन भी होता है. गायन के लिये प्रायः जोगी वेषधारी, साधु या साधारण गृहस्थ भी इन इसमें सिद्धहस्त होते हैं.

दिलचस्प तथ्य यह है कि इन गाथाओं की प्रस्तुति में अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग भी महत्त्वपूर्ण है, जैसे 'राजा भरथरी' और 'गोपीचंद' में सारंगी मुख्य वाद्य यंत्र होता है और इसको गाने वालों को जोगी कहते हैं. 'सोरठी बृजाभार', 'शोभानायक बंजारा', में खंजड़ी और टुनटुना (एकतारा) का प्रयोग होता है.

आल्हा की गाथा ढोल के साथ गाई जाती है. 'सती बिहुला', 'कूंवर विजयी' के मंचन में विभिन्न वाद्यों के साथ झाल, डफ़, नगाड़ा, हारमोनियम का भी उस्तेमाल होता है. गायन और मंचन का समय दिन और रात दोनों है.

गाथाओं की आख्यानपरकता इनकी मुख्य विशेषता है इसके अंवातर प्रसंग जो कथा के बीच में आते हैं. इनमें विवरणों की भरमार होती है. 'सोरठी बृजाभार' में जब नायिका सोरठी के प्रवेश के समय उसके सौंदर्य का अद्भूत वर्णन किया जाता है जो रूपकों, अलंकारों और अतिश्योक्तियों से परिपूर्ण होता है. कथावाचक अगर 'सारंगा सदाबृज' में घुड़दौड़ का विवरण देता है तो एक एक घोड़े को सजीव कर देता है. इस तरह परिवेश और समय को भी ऐसे वर्णित करते हैं मानो आंखो के सामने घटित हो रहा हो.

इन गाथाओं के गायकों और प्रस्तुतकर्ताओं की मुख्य क्षमता उनकी स्मृति है. यह सारी कहानियां उन्हें स्मृति और मौखिक परंपरा से प्राप्त हुई है. गायकों और प्रस्तुतकर्ताओं की सहज और तीक्ष्ण बुद्धि का प्रदर्शन भी प्रस्तुति में मिलता है जब वे पारंपरिक आख्यान में समसामयिक टिप्पणियों को सहेजते चलते हैं. और सीधी सहज भाषा में भी गुढ़ दर्शन की अभिव्यक्ति करने लगते हैं.

समय के बदलाव में यह परंपरा अब क्षीण हो रही है. इन कथाओं में वर्णित विवरण, मिथक, रूपक ,समाजिक रीति रिवाज, अतिश्योक्तियां, भोगौलिक विवरण इत्यादि हमें भोजपुरी क्षेत्र के साथ अन्य सामाजिक विवरण देते हैं जिनमें हम नृतत्वशास्त्री संदर्भ भी हासिल कर सकते हैं. ज्ञान को एक रोचक विधि से सरंक्षित रखने का सूत्र भी इनमें छूपा हुआ है.

**उदाहरण**

इसके महत्त्व का एक उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं. 'शोभानायक बंजारा' में नायक शोभानायक जो व्यापारी है सोलह सौ बैलों को लेकर व्यापार करने मोरंग देश जाता है. इन बैलों पर जीरा लदा था, इसमें तत्कालीन व्यापारिक मार्ग की सूचना है. मोरंग, तिरहूत, बांसडीह, बहराईच, बरहज बाजार की व्यापारिक मंडियों की सूचना है. इसमें चूंगियों के प्रथा की सूचना है. इसमें मुनिम माधव मगहिया की सामाजिक भूमिका की सूचना है. इसमें काशीनगर एंव तिरहूत के बाजारों की सूचना है. तात्पर्य यह कि यह कथा अपने में कितनी ही संदर्भों को समेटे हुए हैं. ऐसी ही व्याप्ति अन्य कथाओं में भी है. इनके नष्ट हो जाने का मतलब है कि ज्ञान के इन अक्षय स्रोतों और मानव इतिहास को समझने की एक दूर्लभ सामग्री का नष्ट हो जाना. अतः समय रहते ही इन कलाओं को सरंक्षित कर लिया जाना चाहिये.

**उद्देश्य-**

- अधिकतम कलाकरों की बुनियादी जानकारी इकठ्ठी करना
- अधिकतम मंडलियों की बुनियादी जानकारी एकत्र करना

- शैलियों की परियोजना से संबंधित क्षेत्र में वस्तुस्थिति जानना
- शैलियों के पाठ और प्रदर्शन के विभिन्न प्रकारों का दस्तावेजीकरण करना

परियोजना की समाप्ति पर आंकडों के साथ साथ हमारा उद्देश्य होगा कि हम इनके सरंक्षण-संवर्धन और कलाकारों की मदद के लिये कौन से उपाय किये जाने चाहिये इसके ठोस उपाय सुझा सकें.

हम प्रस्तावित करते हैं कि परियोजना के रिपोर्ट और उसक उपयोगिता के आधार पर अकादमी अगर और संसाधन उपलब्ध कराती है तो हम इन कलाकारों के सहयोग से इनके प्रदर्शन की एक कार्यशाला उक्त क्षेत्र में करवा कर समाज में जागरूकता का कार्यक्रम करवा सकते है.

हम इतने पर्याप्त आंकड़े दे पायें कि उनकी मदद से अकादमी इन शैलियों तक मदद पहुँचा सके.

**दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया**:

मार्च के महिने में आयोजित एक कार्यशाला से जिसका आयोजन संगीत नाटक अकादमी ने किया था से परियोजना को संपादित करने का सूत्र मिला.

शुरूआती छ: महिने में गहन सर्वेक्षण होगा इसमें चयनित क्षेत्र के अधिकतम हिस्सों को समेटने का प्रयास किया जा रहा है. यह बहुत श्रमसाध्य कार्य है. क्योंकि इसमें गांव गावं घूम कर गायकों, मंडलियों का पता लगाना पड़ रहा है. पलायन के शिकार इस इलाके में अधिकांश कलाकार रोजी रोटी की तलाश में देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर गये हैं, उनका भी पता लगाने की कोशिश हो रही है. ताकि परियोजना के अंत में हम अधिक से अधिक कलाकारों, मंडलियों का एक विस्तृत डेटा बेस बना सकें.

अमूर्त विरासत के सरंक्षण की इस परियोजना के तहत कलाकारों और मंडलियों जिनका इन शैलियों से संबंध हो जिनका विवरण उपर दिया गया है का सर्वे किया जा रहा है. इसमें हम कुछ निश्चित बिंदुओं के तहत सवाल पूछ रहें हैं जो इस प्रकार हैं:

- कलाकार का नाम, पता, उम्र
- किस शैली से संबंध हैं?
- शैली से कितने अरसे से जुड़े हुए है?
- शैली किससे सिखी और कितनों को सीखाया?
- क्या उन्होंने कभी इस शैली को जीविका का आधार बनाया था?
- वो नियमित प्रदर्शन कर रहे हैं या उसमें रूकावट है. यदि रूकावट है तो उसका कारण क्या है?
- शैली की स्थिति पर उक्त कलाकारों और मंडलियों की क्या राय है?
- उनकी राय में इसके सरंक्षण के लिये क्या उपाय की जा सकती है?
- उनको किस तरह की मदद की आवश्यकता या उम्मीद है?

इन प्रश्नों के अलावा हम शैली की उपलब्धता इसकी सामाजिक स्थिति और कलाकारों या मंडलियों की समाजिक आर्थिक स्थिति की पड़ताल कर रहे हैं.

इस दौरान हम गाथाओं के प्रचलित विभिन्न पाठों का संकलन और विडीयो साक्षात्कार और प्रदर्शन और गायन की शैलियों का दृश्य श्रव्य दस्तावेजीकरण करने की कोशिश भी करेंगे अगर संसाधन और समय उपलब्ध हुआ तो.

**समय अवधि-**

- मार्च 2016 से दिसंबर 2016 : सर्वेक्षण कर आँकड़ा एकत्र करना.
- जनवरी 2017 से फरवरी 2017 : एकत्रित आँकड़ा को व्यवस्थित करना और अंतिम रिपोर्ट लिखना

क्षेत्र-

पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, बिहार

निष्कर्ष-

हमारे पास होगा-

- चंपारण की गाथागायन की पारंपरिक शैलियों, गाथागायकों, और प्रस्तुत करने वाले कलाकारों का आंकड़ा
- शैली और कलाकारों की वस्तुस्थिति की जानकारी
- संरक्षण के ठोस उपाय और सुझाव
- शैलियों के विभिन्न पाठ

## पहली रिपोर्ट (March 2016 - June 2016)

फरवरी महिने के अंत के दिनों से इस काम का सूत्रपात हुआ. मार्च में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की कार्यशाला से यह दिशा मिली कि परियोजना को कैसे संपादित किया जाये.

परियोजना के मुख्य कार्य आँकड़ा सृजन के लिये इस शुरूआती चरण में हमें बहुत जूझना पड़ रहा है. इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्य है:

- शहरी इलाकों में इन शैलियों के बारे में जानने वाले लोग कम है. शहरी या कस्बाई इलाके के लोगों में इन कलाओं को हेय दृष्टि से देखने की प्रवृति अधिक है. इसलिये उनकी इस तरफ से उदासीनता भी है.
- गाँवों या छोटे कस्बों में इन शैलियों को जानने वाले और करने वाले लोग अभी भी कुछ बचे हुए हैं जो तेजी से कम हो रहे हैं.
- इस तरह के कलाओं को सरंक्षण कृषि आधारित सामाजिक व्यवस्था में मिलता था लेकिन पीछले पच्चीस सालों में इस व्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है. कृषि पर दबाव बढ़ गया है और सीमांत या छोटे किसानों का काम नहीं चल पा रहा है. इसका एक सीधा परिणाम व्यापक पलायन के रूप में हमारे सामने है. पलायन करने वाले लोगो में इन शैलियों को अभ्यासी कलाकार भी हैं. स्पष्ट है कि पलायन एक मुख्य कारण है जिसने इस शैली पर दबाव बढ़ा दिया है.
- सरकार या स्थानीय प्रशासन ने इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं की है कि इन कलाओं को भी सरंक्षण की जरूरत है. इस तथ्य का महत्तव ही नहीं महसूस किया गया कि इन शैलियों में कितनी मूल्यवान विरासत संरक्षित है.

एक तरह से हमने अपने सर्वेक्षण कार्य को शुन्य से शुरू किया. पहले चरण में हम उन लोगों के पास गये जिनकी जानकारी हमें आसानी से उपलब्ध हुई. और वो जो हमारे समीप थे. इस चरण में कम ही गाँवों का सर्वेक्षण हो पाया है. क्योंकि कम से कम समय में अधिकतम जानकारियां कैसे निकलवाइं जाये इसके लिये पद्धति और प्रश्न तय करने में समय लगा. इससे अगले चरण में समृद्ध आंकड़ा तैयार करने में आसानी होगी.

चूँकि बातचीत लंबी करनी पड़ती है और काफी यात्रा भी इसलिये कार्य श्रमसाध्य है. सर्वेक्षण की प्रक्रिया में हमने एक नेटवर्क तैयार करने की भी कोशिश की है. ताकि अभीष्ट जानकारी हम तक पहुँचने के श्रोत बढ़ जाये और समय की बचत है. इस काम में हम कलाकारों की मदद ले रहे हैं ताकि उनकी रूचि इस तरफ जगे और इस क्रम में परियोजना के जरिये हम उनका आर्थिक मदद कर सकें. हमारी योजना शैलियों के विविध पाठों के संकलन की भी है. इसमें भी हम इनकी मदद लेंगे.

अभी तक हमने विभिन्न आयु वर्ग और विविध शैलियों के जितने कलाकारों का आँकड़ा इकठ्ठा किया गया है उदाहरण स्वरूप उनमें से कुछ का संकलन इस रिपोर्ट में किया जा रहा है. इसको एक नमूना समझा जाये. साथ ही हम कुछ चित्र भी प्रस्तुत कर रहे हैं.

**संकलित आँकड़ों का नमूना**

1. नाम – शिवपूजन गिरि
   ग्राम- कैलाश नगर
   थाना- बगहा
   जिला- पश्चिम चम्पारण
   शैली- बिहुला, बृजाभार, सारंगा-सदाबृज इत्यादी.
   कार्य – इनको याद नहीं है.

जीविका का माध्यम- गाथा गायन

टिप्पणी- रेलवे लाइन के किनारे एक अस्थाई अड्डा है वहीं एकतारा और खंजड़ी के सहारे महफ़िल जमाते हैं. गाने के लिये निमंत्रण भी मिलता है तो गाँव गाँव घुमते भी हैं. कमाई का मुख्य जरिया गायकी ही है. इनके अनुसार गायकी इन्हें अपने आप सरस्वती के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है. इनकी लोकप्रियती काफी है. ये **बृजाभार बाबा** के नाम से मशहूर हैं.

2. नाम – अरूण कुमार निषाद

ग्राम- बगही,

थाना- दरपा, जिला- पूर्वी चम्पारण

कार्य – लगभग पाँच वर्ष से

जीविका का माध्यम- गाथागायन

टिप्पणी- कार्य से संतुष्टी है. दर्शकों का प्यार मिलता है, कभी कभी आक्रोश भी झेलना पड़ता है. पैसा लेकर स्टाफ भाग जाता है. चूँकि आय का साधन है इसलिये प्रेरणा भी मिलती है. संस्कृति को बचाने की भावना भी है.

पहले धार्मिक-सामाजिक नाटक दिखाया जाता था लेकिन अब ऑर्केस्ट्रा के कारण इन शैलियों विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है. यह चिन्ता का विषय है इसलिये इस कला को जीवित रखना चाहता हूँ.

3. नाम – दशई पासवान

ग्राम- पजिअरवा

थाना- सुगौली

जिला- पूर्वी चम्पारण

शैली- आल्हा

कार्य – लगभग बीस वर्षों से

जीविका का माध्यम- किसानी और मजदूरी

टिप्पणी- संपूर्ण आल्ह खंड के गायक हैं. छप्पन किला. लोगों के आग्रह पर गाते हैं. पैसे के लिये नहीं गाते. इसलिये कहीं पैसा मिलता है, कहीं नहीं मिलता. कोई गुरू नहीं है. स्वत: प्रेरणा से गाते हैं.

*Figure 1dashai paswan*

4. नाम – पटवारी यादव

ग्राम- पजिअरवा

थाना- सुगौली

जिला- पूर्वी चम्पारण

शैली- आल्हा

कार्य – लगभग बीस वर्षों से

जीविका का माध्यम- प्रवासी मजदूर

टिप्पणी- 52 किले की लड़ाई गाते हैं. इनके अनुसार लोक गाथा के श्रोताओं की कमी होती जा रही है और इससे कुछ कमाइ नहीं होती इसलिये गायक कम होते जा रहें है. इनके गुरू विपत यादव हैं.

5. नाम – विपत यादव
   ग्राम- पजिअरवा
   थाना- सुगौली
   जिला- पूर्वी चम्पारण
   शैली- आल्हा
   कार्य – लगभग बीस वर्षों से
   जीविका का माध्यम- सेवानिवृत सैनिक
   टिप्पणी- पन्द्रह वर्षों तक गाया. सुनते सुनते अभ्यास से सीखा. अब भूल रहें हैं क्योंकि बहुत दिनों से अभ्यास छोड़ दिया.

6. नाम – युनुस देवान
   ग्राम- गम्हरिया
   थाना- बंजरिया
   जिला- पूर्वी चम्पारण
   शैली- बिहुला
   कार्य – लगभग पन्द्रह वर्षों से
   जीविका का माध्यम- मजदूरी

   टिप्पणी- मंडली में दो थे. एक की मृत्यु हो गई उसके बाद गाना छोड़ दिया. अभी भी गाने की इच्छा है. और सीखाना भी चाहते हैं लेकिन कोइ नहीं मिलता. इनके अनुसार सुनने वालों की कमी नहीं अगर प्रोत्साहन मिले तो अभी भी लोगो को सुना सकते हैं. पहले लोकगाथा के प्रचार और जीविका के लिये गाते थे. लेकिन अब इससे जीविका नहीं चलती इसलिये मजदूरी करने लगे. काफी कमजोर भी हो गये हैं.

7. नाम – जगदीश कुर्मी
   ग्राम- नरीर गीर
   थाना- रामगढ़वा
   जिला- पूर्वी चम्पारण
   शैली- बिहुला
   कार्य – लगभग पन्द्रह वर्षों से
   जीविका का माध्यम- मजदूरी
   टिप्पणी- युनुस देवान के साथ रहकर गाया. पर इससे जीविका नहीं चलती थी. थोड़ी खेती है मजदूरी भी करते हैं. “लोग उस समय बड़े चाव से सुनते थे. अब नये नये किस्म के गाने वाले आ गये हैं, नाचने वाले आ गये हैं. लोगों का मन बदल गया है, दुनिया बदल गई है. अब हम लोगों को कौन पूछेगा”

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं के संरक्षण की योजना का प्रपत्र

**1- प्रस्तावित योजना का कार्यक्षेत्र राज्य**

पूर्वी और पश्चिम चम्पारण (बिहार)

**2- योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा का नाम (क्षेत्रीय, स्थानीय, हिंदी एवं अंग्रेज़ी में )**

गाथा गायन, लोककथा वाचन

**3- योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा से सम्बंधित समुदाय का भाषिक क्षेत्र और भाषा, उपभाषा तथा बोली का विवरण**

भोजपुरी

**4- योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा से स्पष्ट रूप से सम्बंधित प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह, परिवार एवं व्यक्ति का नाम एवं संपर्क**

(विवरण अलग से संलग्न)

**5- योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा के तत्त्वों की जीवंतता का विस्तारित भोगोलिक क्षेत्र (ग्राम, प्रदेश, राज्य, देश, महादेश आदि) जिनमें उनका अस्तित्व है / पहचान है|**

पूर्वी और पश्चिम चम्पारण के अतिरिक्त बिहार के अन्य जिलों में. साथ ही उत्तर प्रदेश के बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में

**6- योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा की पहचान एवं उसकी परिभाषा / उसका विवरण**

1 . **मौखिक परम्पराएं एवं अभिव्यक्तियाँ (भाषा इनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में है )** हाँ

2 . **प्रदर्शनकारी कलाएं** हाँ

3 . **सामाजिक रीति-रिवाज़, प्रथाएँ, चलन, परम्परा, संस्कार, एवं उत्सव आदि** हाँ

4 . **प्रकृति एवं जीव-जगत के बारे में ज्ञान एवं परिपाटी व अनुशीलन प्रथाएं** हाँ

5 . **पारंपरिक शिल्पकारिता**

**6 . अन्यान्य**

**7- कृपया योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा का एक रुचिपूर्ण सारगर्भित संक्षिप्त परिचय दें**

गाथागायन चंपारण की एक मुख्य सांस्कृतिक परंपरा है जो परंपरा से गायन और प्रदर्शन के द्वारा जनता के बीच प्रस्तुत किये जाते हैं. चंपारण की मुख्य भाषा भोजपुरी है अतः इस इलाके में प्रचलित इन शैलियों की भी भाषा भोजपुरी है. इस क्षेत्र में आल्हा, लोरिकायन, भरथरी, कुंवर विजयी, शोभानायक बंजारा, सती बिहूला, सोरठी बृजाभार, सारंगा सदाबृज, राजा भरथरी, इत्यादि जैसे अनेक लोकगाथाओं का प्रचलन है. जिसके प्रदर्शन की मुख्यतः दो शैलियां हैं गायन और मंचन. गायन में जहां कभी कभी अकेला गायक कई सत्रों में कथा जो कई कई दिनों तक चलने वालि होती है को संपन्न करता है वहीं मंचन में एक पूरा नाट्यदल कथा को मंचित करता है. यह कथाएं लोक में प्रचलित परंपरा, रीति-रिवाजों, जानकारियों का अक्षय स्रोत है जिसमें अनेक सामाजिक संदर्भ भी विन्यस्त होते हैं.

इन गाथाओं का श्रेणी निर्धारण भी किया जा सकता है. जैसे **वीरतापूर्ण गाथाओं** में 'लोरिकायन', 'कुंवर' 'विजयी', तथा 'आल्हा' आते हैं. इन गाथाओं के नायकों की वीरता का ओजपूर्ण शैली में गायन और मंचन किया जाता है. वीरतामय जीवन की विडंबना भी इन गाथाओं में उभर कर आती है.

'सोरठी बृजाभार', 'सारंगा सदाबृज', 'सती बिहूला' **प्रेम प्रधान गाथाएं** है. सोरठी बृजाभार और सती बिहूला में स्त्री के पतिव्रत धर्म को लौकिक धरातल पर उकेरा गया है जिनमें सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगो और रूपकों को देखा जा सकता है. इसकी मुख्य विशेषता है कि इनकी नायिकाएं साधारण स्त्रियां हैं.

'गोपीचंद' और भर्थरी **योगियों की गाथाएं** है. इनकी कथा का संबंध मक्षेन्द्रनाथ और गोरखनाथ के अनुयायियों के नाथ संप्रदाय से है.

इन गाथाओं के प्रदर्शन की शैलियां विविध हैं. 'सोरठी बृजाभार', 'सती बिहुला' और 'आल्हा' के नाट्यमंचन की विधिवत मंडलियां है जो कई रातों में खेल कर पूरी कहानी का मंचन कर दर्शकों को सुनाती है. इन सभी शैलियों का कथा गायन भी होता है. गायन के लिये प्रायः जोगी वेषधारी, साधु या साधारण गृहस्थ भी इन इसमें सिद्धहस्त होते हैं.

दिलचस्प तथ्य यह है कि इन गाथाओं की प्रस्तुति में अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग भी महत्त्वपूर्ण है, जैसे 'राजा भरथरी' और 'गोपीचंद' में सारंगी मुख्य वाद्य यंत्र होता है और इसको गाने वालों को जोगी कहते हैं. 'सोरठी बृजाभार', 'शोभानायक बंजारा', में खंजड़ी और टुनटुना (एकतारा) का प्रयोग होता है. आल्हा की गाथा ढोल के

साथ गाई जाती है. 'सती बिहुला', 'कूंवर विजयी' के मंचन में विभिन्न वाद्यों के साथ झाल, डफ़, नगाड़ा, हारमोनियम का भी उस्तेमाल होता है. गायन और मंचन का समय दिन और रात दोनों है.

गाथाओं की आख्यानपरकता इनकी मुख्य विशेषता है इसके अंवातर प्रसंग जो कथा के बीच में आते हैं. इनमें विवरणों की भरमार होती है. 'सोरठी बृजाभार' में जब नायिका सोरठी के प्रवेश के समय उसके सौंदर्य का अद्भूत वर्णन किया जाता है जो रूपकों, अलंकारों और अतिश्योक्तियों से परिपूर्ण होता है. कथावाचक अगर 'सारंगा सदाबृज' में घुड़दौड़ का विवरण देता है तो एक एक घोड़े को सजीव कर देता है. इस तरह परिवेश और समय को भी ऐसे वर्णित करते हैं मानो आंखो के सामने घटित हो रहा हो.

इन गाथाओं के गायकों और प्रस्तुतकर्ताओं की मुख्य क्षमता उनकी स्मृति है. यह सारी कहानियां उन्हें स्मृति और मौखिक परंपरा से प्राप्त हुई है. गायकों और प्रस्तुतकर्ताओं की सहज और तीक्ष्ण बुद्धि का प्रदर्शन भी प्रस्तुति में मिलता है जब वे पारंपरिक आख्यान में समसामयिक टिप्पणियों को सहेजते चलते हैं. और सीधी सहज भाषा में भी गुढ़ दर्शन की अभिव्यक्ति करने लगते हैं.

समय के बदलाव में यह परंपरा अब क्षीण हो रही है. इन कथाओं में वर्णित विवरण, मिथक, रूपक ,समाजिक रीति रिवाज, अतिश्योक्तियां, भोगौलिक विवरण इत्यादि हमें भोजपुरी क्षेत्र के साथ अन्य सामाजिक विवरण देते हैं जिनमें हम नृतत्वशास्त्री संदर्भ भी हासिल कर सकते हैं. ज्ञान को एक रोचक विधि से सरंक्षित रखने का सूत्र भी इनमें छूपा हुआ है.

**8- योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा के तत्वों के अधिकारी व्यक्ति और अभ्यासी कौन हैं ? क्या इन व्यक्तियों की कोई विशेष भूमिका है या कोई विशेष दायित्व है इस परम्परा और प्रथा के अभ्यास एवं अगली पीढ़ी को संचरण के निमित्त ? अगर है तो वो कौन हैं और उनका दायित्व क्या है ?**

इन शैलियों का प्रचलन पिछड़ी जातियों और उसमें भी मुख्यतः श्रमिक वर्ग में हैं. ये परंपराएं इन व्यक्तियों ने परंपरागत संचरण से सीखी है लेकिन चूंकि इन्हें ही सरंक्षण नहीं मिला इसलिये बहुतों को इसका अभ्यास छोड़ना पड़ा है इसलिये वे अगली पीढ़ी तक इसका हस्तांतरण नहीं कर पा रहे हैं.
व्यक्तियों के अलावा मंडलियों में समूह बनाकर इनका प्रदर्शन नाट्य शैली में होता रहा है, इनके सदस्य भी अधिकांशतः पिछड़ी जाति और श्रमिक वर्ग से है और मंडलियों के सदस्यों का रोजगार का साधन भी यह था लेकिन रोजगार के अवसर सीमित होते जाने

के कारण अब इन मंडलियों को संघर्ष करना पड़ रहा है.सर्वेक्षण के बाद हम इस मुद्दे पर और भी ठोस रूप से कुछ कह पाने में सक्षम होंगे.

9. **ज्ञान और हुनरकुशलता का वर्तमान में संचारित तत्त्वों के साथ क्या अंतर सम्बन्ध / ?है**

संस्कृति में छुपी बहुत सारी जानकारियां इस अमूर्त मौखिक विरासतों में विन्यस्त रहती है.इसके महत्त्व का एक उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं. 'शोभानायक बंजारा' में नायक शोभानायक जो व्यापारी है सोलह सौ बैलों को लेकर व्यापार करने मोरंग देश जाता है. इन बैलों पर जीरा लदा था, इसमें तत्कालीन व्यापारिक मार्ग की सूचना है. मोरंग, तिरहूत, बांसडीह, बहराईच, बरहज बाजार की व्यापारिक मंडियों की सूचना है. इसमें चूंगियों के प्रथा की सूचना है. इसमें मुनिम माधव मगहिया की सामाजिक भूमिका की सूचना है. इसमें काशीनगर एंव तिरहूत के बाजारों की सूचना है. तात्पर्य यह कि यह कथा अपने में कितनी ही संदर्भों को समेटे हुए हैं. ऐसी ही व्याप्ति अन्य कथाओं में भी है. इनके नष्ट हो जाने का मतलब है कि ज्ञान के इन अक्षय स्रोतों और मानव इतिहास को समझने की एक दूर्लभ सामग्री का नष्ट हो जाना. अतः समय रहते ही इन कलाओं को सरंक्षित कर लिया जाना चाहिये.

10. **आज वर्तमान में सम्बंधित समुदाय के लिए इन तत्त्वों का सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन क्या मायने रखता हैं ?**

ये समुदाय की ही शैलियां रही हैं, मनोरंजन के एक प्रमुख विकल्प होने के साथ यह लोगो को एक समान जगह पर मिलने जुलने और आपस में समन्वय के लिये मंच प्रदान करती है. रीति रिवाज शैलियों की भी जानकारी इससे मिलती है. इसलिये इनका आयोजन बहुत मायने रखता है. आयोजन होने से इनको बचाने में भी अदद मिलेगी. साथ ही नई पीढ़ी तक इसका हस्तांतरण भी सुगमता से हो सकता है.

11. **क्या योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत परम्परा के तत्त्वों में ऐसा कुछ है जिसे / प्रतिपादित अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार के मानकों के प्रतिकूल माना जा सकता है या फिर समूह या फिट व्यक्ति के आपसी सम्मान को ठेस पहुँचती हो या फिर वे उनके ,जिसे समुदाय स्थाई विकास को बाधित करते होंक्या प्रस्तावित योजना के तहत या फिर सांस्कृतिक . परम्परा में ऐसा कुछ है जो देश के कानून या फिर उनसे जुड़े समुदाय के समन्वय को या ?विवाद खड़ा करती हो ? दूसरों को क्षति पहुंचाती हो**

नहीं

13. **प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत परम्परा की योजना क्या उससे सम्बंधि /त संवाद के लिए पारदर्शिता? सजगता और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करती है ,**

हाँ

**परम्परा के तत्वों के संरक्षण के लिए उठाए / योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत .14 प्रयासों के बारे जानकारी में जो उसको संरक्षित या संवर्धित कर सकते /क़दमों/जाने वाले उपायों हैं .**

**उल्लेखित उपाय ,उपायों को पहचान कर चिन्हित करें जिसे वर्तमान में सम्बंधित समुदायों/ | और व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है ,समूहों**

1- **औपचारिक एवं अनोपचारिक तरीक़े से प्रशिक्षण (संचरण )** हाँ
2- **पहचान, दस्तावेजीकरण एवं शोध** हाँ
3- **रक्षण एवं संरक्षण** हाँ
4- **संवर्धन एवं बढ़ावा** हाँ
5- **पुनरुद्धार / पुनर्जीवन** हाँ

15. **स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत परम्परा के तत्वों के संरक्षण के लिए अधिकारियों ने क्या उपाय किये ? उनका विवरण दें|**
अभी इस क्षेत्र में इस तरह के कोई प्रयास हमारी जानकारी में नहीं हुए हैं.

16. **योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा के तत्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को क्या खतरे हैं ? वर्तमान परिदृश्य के उपलब्ध साक्ष्यों और सम्बंधित कारणों का व्योरा दें |**

आधुनिक शिक्षा और विकास के माडल ने इन मौखिक स्रोतों जिनके लिखित रूप में या अन्य रूप में सरंक्षण का काम नहीं हुआ उन पर खतरा उत्पन्न कर दिया है. यह हमें एक अंधकार की ओर धकेल सकता है क्योंकि संस्कृति में छुपी बहुत सारी जानकारियां इस अमूर्त मौखिक विरासतों में विन्यस्त रहती है. सांस्कृतिक धरोहर के हस्तांतरण में मौखिक कथन तथा स्मृति की निर्णायक भूमिका भी होती है. जब एक राष्ट्र में शिक्षा का प्रसार होने लगता है तो वह अपने मौखिक साहित्य का अनादर करने लगता है. हम अपने मौखिक साहित्य को अपनाने में लज्जा का अनुभव करते हैं और इस प्रकार प्रगतिवान संस्कृति आश्चर्यजनक ढंग से मौखिक साहित्य को नष्ट कर डालती है।

भूमंडलीकरण का दशक भी ऐसा रहा है जिसने सांस्कृतिक विघटन और विस्थापन की प्रक्रिया को अत्यंत तीव्र कर दिया है. इससे बहुत से मौखिक और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लगातार विलुप्ती की कगार पर पहूंच गये हैं क्योंकि ये जिस समुदाय के बीच पनपे, सरंक्षित

हुए उनकी पारस्थितिक एक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही है. ऐसे में समूदायों और प्रयोक्ताओं  का इस परिवर्तन की प्रक्रिया से प्रभावित हो जाना स्वाभाविक है. इसलिये यह महसूस किया जा रहा है कि मनुष्य की संस्कृति में उपलब्ध रही  इन अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों को समय रहते ही जान लिया जाए ताकि उनके सरंक्षण का प्रयास हो सके.

17. **संरक्षण के क्या उपाय अपनाने के सुझाव हैं ? (इसमें उन उपायों के पहचान कर उनकी चर्चा करें जिससे के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा के तत्त्वों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिल सके | ये उपाय ठोस हों जिसे भविष्य की सांस्कृतिक नीति के साथ आत्मसात किया जा सके ताकि के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा के तत्त्वों का राज्य स्तर पर संरक्षण किया जा सके | )**

    अभी इस परियोजना के शुरूआती चरण में हैं इसलिये ठोस रूप से अभी कुछ कह पाने में अक्षम हैं.

18. **सामुदायिक सहभागिता (प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा के तत्त्वों के संरक्षण की योजना में समुदें अइय, समूह, व्यक्ति की सहभागिता के बारे में लिखें)**

    संक्षिप्त विवरण संलग्न है. विस्तार से अंतिम रिपोर्ट में.

19. **सम्बंधित समुदाय के संघठन(नों) या प्रतिनिधि (यों) (प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा के तत्त्वों से जुड़ें हर समुदायिक संगठन या प्रतिनिधि या अन्य ग़ैर सरकारी संस्था जैसे की एसोसिएशन, आर्गेनाइजेशन, क्लब, गिल्ड, सलाहकार समिति, स्टीयरिंग समिति आदि )**

    विस्तार से अंतिम रिपोर्ट में

    1- संस्था /कम्पनी/ हस्ती का नाम

    2- सम्बंधित/ अधिकारी व्यक्ति का नाम पदनाम व संपर्क

    3- पता

    4- फोन नंबर :  मोबाइल न. :

    5- ईमेल :

    6- अन्य सम्बंधित जानकारी

20. **किसी मौजूदा इन्वेंटरी, डेटाबेस या डाटा क्रिएशन सेंटर (स्थानीय/राज्यकीय/ राष्ट्रीय) की जानकारी जिसका आपको पता हो या आप किसी कार्यालय,  एजेंसी, आर्गेनाईजेशन या व्यक्ति की जानकारी को इस तरह की सूची को संभल कर रखता हो उसकी जानकारी दें |**

    अभी तक के सर्वेक्षण में ऐसी किसी संस्था का पता नहीं चला.

21. **के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा के तत्त्वों से संबंधित प्रमुख प्रकाशित संदर्भ सूची या दस्तावेज़ (किताब, लेख, ऑडियो-विसुअल सामग्री, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, प्राइवेट सहृदयों संग्राहकों, कलाकारों/व्यक्तियों के नाम और पते तथा वेबसाइट आदि जो सम्बंधित सांस्कृतिक विरासत / परम्परा के तत्त्वों केबारे में हों |**

अंतिम रिपोर्ट में

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम: अमितेश कुमार

पता 242, kanishka Apartment

C & D Block, Shalimar bagh,

Delhi 110088

फोन न..011-27495731 : मोबाइल.9990366404 .
ईमेल ....amitesh0@gmail.com
वेबसाइट ... rangwimarsh.blogspot.com

‘भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण’ 2015-16

# “चंपारण की गाथागायन की पारंपरिक शैलियों, गाथागायकों, और प्रस्तुत करने वाले कलाकारों का आंकड़ा सृजन, सूचीकरण एवं दस्तावेजीकरण”

Amitesh Kumar

Ph. No. 9990366404

Amitesh0@gmail.com

File No. 28-6/ICH-Scheme/2015-16/25

**परिचय-**

चंपारण भारत के इतिहास और भूगोल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नवीन प्रयोग 'सत्याग्रह' की शुरूआत यहीं से हुई थी. चंपारण की उपजाऊ भूमि जो नील की खेती से बंजर होते जा रही थी, किसान अंग्रेजी शासन के अत्याचार से त्रस्त थे तब पंडित राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर महात्मा गाँधी चम्पारण पहुंचे और भारत में सत्याग्रह का सूत्रपात किया. चंपारण की भूमि केवल अन्न के लिए ही उपजाउ नहीं कला, संस्कृति और साहित्य के लिए भी है. इसी उपजाऊ भूमि में अनेक कलाएं पनपी हैं. जिसने चंपारण की सांस्कृतिक इतिहास का भी निर्माण किया है.

गाथागायन चंपारण की एक मुख्य सांस्कृतिक परंपरा है जिसकी प्रस्तुति गायन और प्रदर्शन के द्वारा जनता के बीच होती है. चंपारण की मुख्य भाषा भोजपुरी है अतः इस इलाके में प्रचलित इन शैलियों की भी भाषा भोजपुरी है. इस क्षेत्र में आल्हा, लोरिकायन, भरथरी, कुंवर विजयी, शोभानायक बंजारा, सती बिहूला, सोरठी बृजाभार, सारंगा सदाबृज, राजा भरथरी, इत्यादि जैसे अनेक लोकगाथाओं का प्रचलन है. जिसके प्रदर्शन की मुख्यतः दो शैलियां हैं गायन और मंचन. गायन में जहां कभी कभी अकेला गायक कई सत्रों में कथा जो कई कई दिनों तक चलने वाली होती है को संपन्न करता है वहीं मंचन में एक पूरा नाट्यदल जिसे नाच मंडली कहते हैं कथा को मंचित करता है. यह कथाएं लोक में प्रचलित परंपरा, रीति-रिवाजों, जानकारियों का अक्षय स्रोत है जिसमें अनेक सामाजिक संदर्भ भी विन्यस्त होते हैं.

इन गाथाओं का श्रेणी निर्धारण भी किया जा सकता है. जैसे **वीरतापूर्ण गाथाओं** में 'लोरिकायन', 'कुंवर' 'विजयी', तथा 'आल्हा' आते हैं. इन गाथाओं के नायकों की वीरता का ओजपूर्ण शैली में गायन और मंचन किया जाता है. वीरतामय जीवन की विडंबना भी इन गाथाओं में उभर कर आती है.

'सोरठी बृजाभार', 'सारंगा सदाबृज', 'सती बिहूला' **प्रेमाख्यानक गाथाएं** है. सोरठी बृजाभार और सती बिहूला में स्त्री के पतिव्रत धर्म को लौकिक धरातल पर उकेरा गया है जिनमें सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगो और रूपकों को देखा जा सकता है. इसकी मुख्य विशेषता है कि इनकी नायिकाएं साधारण स्त्रियां हैं.

'गोपीचंद' और भर्थरी **योगियों की गाथाएं** है. इनकी कथा का संबंध मक्षेन्द्रनाथ और गोरखनाथ के अनुयायियों के नाथ संप्रदाय से है.

इन गाथाओं के प्रदर्शन की शैलियां विविध हैं. 'सोरठी बृजाभार', 'सती बिहुला' और 'आल्हा' के नाट्यमंचन की विधिवत मंडलियां है जो कई रातों में खेल कर पूरी कहानी का मंचन कर दर्शकों को सुनाती है. इन कथाओं को एकल कथावाचक भी एकतारे का सहारा लेकर कथा और गीत संगीत युक्त शैली में दर्शकों को सुनाते हैं. इन शैलियों का कथागायन भी होता है. प्रायः जोगी वेषधारी, साधु या साधारण गृहस्थ भी इन कथाओं की प्रस्तुति में सिद्धहस्त होते हैं.

दिलचस्प तथ्य यह है कि इन गाथाओं की प्रस्तुति में अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग भी होता है. जैसे 'राजा भरथरी' और 'गोपीचंद' में सारंगी मुख्य वाद्य यंत्र होता है और इसको गाने वालों को जोगी कहते हैं. 'सोरठी बृजाभार', 'शोभानायक बंजारा', में खंजड़ी और टुनटुना (एकतारा) का प्रयोग होता है. आल्हा की गाथा ढोलक के साथ गाई जाती है. 'सती बिहुला', 'कूंवर विजयी' के मंचन में विभिन्न वाद्यों के साथ झाल, डफ़, नगाड़ा, हारमोनियम का भी उस्तेमाल होता है. गायन और मंचन का समय दिन और रात दोनों है.

गाथाओं की आख्यानपरकता इनकी मुख्य विशेषता है इसके अंवातर प्रसंग जो कथा के बीच में आते हैं. इनमें विवरणों की भरमार होती है. 'सोरठी बृजाभार' में जब नायिका सोरठी के प्रवेश के समय उसके सौंदर्य का अद्भूत वर्णन किया जाता है जो रूपकों, अलंकारों और अतिश्योक्तियों से परिपूर्ण होता है. कथावाचक अगर 'सारंगा सदाबृज' में घुड़दौड़ का विवरण देता है तो एक एक घोड़े को सजीव कर देता है. इस तरह परिवेश और समय को भी ऐसे वर्णित करते हैं मानो आंखो के सामने घटित हो रहा हो. मुथ्य कथा के भीतर अनेक कथाएं  विन्यस्त होती हैं जो कथा की रोचकता को बढ़ाती है और समय स्पेस भी विस्तृत होता है.

इन गाथाओं के गायकों और प्रस्तुतकर्ताओं की मुख्य क्षमता उनकी स्मृति है. यह सारी कहानियां उन्हें स्मृति और मौखिक परंपरा से प्राप्त हुई है. गायकों और प्रस्तुतकर्ताओं की सहज और तीक्ष्ण बुद्धि का प्रदर्शन भी प्रस्तुति में मिलता है जब वे पारंपरिक आख्यान में समसामयिक टिप्पणियों को सहेजते चलते हैं. और सीधी

सहज भाषा में भी गुढ़ दर्शन की अभिव्यक्ति करने लगते हैं. प्रस्तुति करने वाले कुछ को कलाकार मानते हैं तो कुछ अपने आप को साधु कहते हैं.

समय के बदलाव और आधुनिकता के दबाव में गाथागायन की समृद्ध परंपरा अब क्षीण हो रही है. इन कथाओं में वर्णित विवरण, मिथक, रूपक ,समाजिक रीति रिवाज, अतिश्योक्तियां, भोगौलिक विवरण इत्यादि हमें भोजपुरी क्षेत्र के साथ इस क्षेत्र के लोकाचारों से जुड़ी अन्य सामाजिक विवरण देते हैं जिनमें हम नृतत्वशास्त्री संदर्भ भी हासिल कर सकते हैं. ज्ञान को एक रोचक विधि से सरंक्षित रखने का सूत्र भी इनमें छूपा हुआ है.

**उदाहरण**

इसके महत्त्व का एक उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं. 'शोभानायक बंजारा' में नायक शोभानायक जो व्यापारी है सोलह सौ बैलों को लेकर व्यापार करने मोरंग देश जाता है. इन बैलों पर जीरा लदा था, इसमें तत्कालीन व्यापारिक मार्ग की सूचना है. मोरंग, तिरहूत, बांसडीह, बहराईच, बरहज बाजार की व्यापारिक मंडियों की सूचना है. इसमें चूंगियों के प्रथा की सूचना है. इसमें मुनिम माधव मगहिया की  सामाजिक भूमिका की सूचना है. इसमें काशीनगर एंव तिरहूत के बाजारों की सूचना है. तात्पर्य यह कि यह कथा अपने में कितनी ही संदर्भों को समेटे हुए हैं. ऐसी ही व्याप्ति अन्य कथाओं में भी है. इनके नष्ट हो जाने का मतलब है कि ज्ञान के इन अक्षय स्रोतों और मानव इतिहास को समझने की एक दूर्लभ सामग्री का नष्ट हो जाना. अतः समय रहते ही इन कलाओं को सरंक्षित कर लिया जाना चाहिये.

**उद्देश्य-**

इस परियोजना का निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- अधिक से अधिक कलाकारों की बुनियादी जानकारी इकठ्ठी करना
- मंडलियों की बुनियादी जानकारी एकत्र करना
- शैलियों की परियोजना से संबंधित क्षेत्र में वस्तुस्थिति जानना

परियोजना की समाप्ति पर आंकडों के साथ साथ हमारा उद्देश्य होगा कि हम इनके सरंक्षण-संवर्धन और कलाकारों की मदद के लिये कौन से उपाय किये जाने चाहिये इसके ठोस उपाय सुझा सकें. हम इतने पर्याप्त आंकड़े दे पायें कि उसकी मदद से अकादमी इन शैलियों तक मदद पहुँचा सके.

**दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया**:

मार्च 2016 के महिने में आयोजित एक कार्यशाला से जिसका आयोजन संगीत नाटक अकादमी ने किया था से परियोजना को संपादित करने का सूत्र मिला.

आंकड़ा एकत्र करने के लिए चंपारण के इलाके का  गहन भ्रमण किया गया इसमें चयनित क्षेत्र के अधिकतम हिस्सों को समेटने का प्रयास किया गया. यह बहुत श्रमसाध्य कार्य रहा. क्योंकि इसमें गाँव गाँव घूम कर गायकों, मंडलियों का पता लगाना पड़ा. औद्योगिक रूप से पिछड़ा होने के कारण बिहार पलायन का शिकार रहा.  नब्बे के दशक के बाद पलायन की गति तीव्र हुई है और इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं. सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग पर पड़ा है जो श्रम और उसके उचित मूल्य की तलाश में अपने प्रदेश से बाहर निकलते रहे हैं और बिहार के लोककलाओं में सर्वाधिक दखल इस आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों की रही है. विडंबना यह है कि जिस लोककला को ये साधकर उसका प्रदर्शन करते हैं वह भी इन्हें रोजी रोटी नहीं दे पाता क्योंकि इन कलाओं के प्रति व्यापक वर्ग की रूचि कम होती गई है और मनोरंजन को अन्य साधनों की तरफ लोगो का झुकाव बढ़ा है. पुरानी पीढ़ी ही जब इन कलाओं की सेवा में अपनी रोजी रोटी नहीं जुटा  पा रही है तो वह नई पीढ़ी के सामने कोई नजीर ही नहीं दे पा रही है जिससे वो इस तरह की कलाओं में आ सके. और नई पीढ़ी, जो आधुनिक संचार के साधनों और तुरंता संस्कृति से लैस है उसके पास समय भी नहीं है कि वह इन कलाओं को सीखने में लगाए. हमने कोशिश की कि पलायन करने वालो लोगो के बारे में भी पता लगाएं लेकिन मंडलियों के पास अपने ही कलाकारों का संपर्क सूत्र नहीं है जिससे उनका पता लग पाता.

अमूर्त विरासत के सरंक्षण की इस परियोजना के तहत कलाकारों और मंडलियों जिनका इन शैलियों से संबंध है का आंकड़ा जुटाने के क्रम में हमें जो लोग मिले उनसे हमने निम्नलिखित सवाल पूछे:

- कलाकार का नाम, पता, उम्र
- किस शैली से संबंध हैं?

- शैली से कितने अरसे से जुड़े हुए है?
- शैली किससे सिखी और कितनों को सीखाया?
- क्या उन्होंने कभी इस शैली को जीविका का आधार बनाया था?
- वो नियमित प्रदर्शन कर रहे हैं या उसमें रूकावट है. यदि रूकावट है तो उसका कारण क्या है?
- शैली की स्थिति पर उक्त कलाकारों और मंडलियों की क्या राय है?
- उनकी राय में इसके सरंक्षण के लिये क्या उपाय की जा सकती है?
- उनको किस तरह की मदद की आवश्यकता या उम्मीद है?

इन प्रश्नों के अलावा हम शैली की उपलब्धता इसकी सामाजिक स्थिति और कलाकारों या मंडलियों की समाजिक आर्थिक स्थिति की पड़ताल भी की.

**निष्कर्ष**

परियोजना के मुख्य कार्य आँकड़ा सृजन के लिये इस शुरूआती चरण में हमें बहुत जूझना पड़ा. इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्य है:

- शहरी इलाकों में इन शैलियों के बारे में जानने वाले लोग कम है. शहरी या कस्बाई इलाके के लोगों में इन कलाओं को हेय दृष्टि से देखने की प्रवृति अधिक है. इसलिये उनकी इस तरफ से उदासीनता भी है.
- गाँवों या छोटे कस्बों में इन शैलियों को जानने वाले और करने वाले लोग अभी भी कुछ बचे हुए हैं जो तेजी से कम हो रहे हैं.
- इस तरह के कलाओं को सरंक्षण कृषि आधारित सामाजिक व्यवस्था में मिलता था लेकिन पीछले पच्चीस सालों में इस व्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है. कृषि पर दबाव बढ़ गया है और सीमांत या छोटे किसानों का काम नहीं चल पा रहा है. इसका एक सीधा परिणाम व्यापक पलायन के रूप में हमारे सामने है. पलायन करने वाले लोगो में इन शैलियों को अभ्यासी कलाकार भी हैं. स्पष्ट है कि पलायन एक मुख्य कारण है जिसने इस शैली पर दबाव बढ़ा दिया है.
- सरकार या स्थानीय प्रशासन ने इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं की है कि इन कलाओं को भी सरंक्षण की जरूरत है. इस तथ्य का महत्त्व ही नहीं महसूस किया गया कि इन शैलियों में कितनी मूल्यवान विरासत संरक्षित है.

एक तरह से हमने अपने सर्वेक्षण कार्य को शून्य से शुरू किया. पहले चरण में हम उन लोगों के पास गये जिनकी जानकारी हमें आसानी से उपलब्ध हुई. इस चरण में कम ही गाँवों का सर्वेक्षण हो पाया. क्योंकि कम से कम समय में अधिकतम जानकारियां कैसे निकलवाइं जाये इसके लिये पद्धति और प्रश्न तय करने में समय लगा. यह तैयारी इसलिए भी आवश्यक थी ताकि समृद्ध आंकड़ा तैयार करने में आसानी हो. दूसरे चरण में व्यापक भ्रमण हुआ और जो कलाकार मिले उनसे दूसरे कलाकारों के बारे में पूछ कर उनका पता लगाया. इस प्रक्रिया में समय बहुत लगा और जैसा कि उम्मीद थी कि बहुत अधिक कलाकार मिलेंगे वैसा नहीं हुआ. गाथागायन के प्रति बढ़ी सामाजिक अरूचि ने इन कलाकारों की संख्या ही नहीं घटाई है इन्हें गुमनमी में ढकेल दिया है. वैसे भी संभ्रंत तबका इनसे दूर होता है तो व्यापक समाज भी इनसे दूर होता गया है.

जो कलाकार हमें मिले उनसे जानकारी लेना भी आसान नहीं रहा. क्योंकि एक तो वो अपनी कला के बारे में सैद्धांतिक बात करने में सहज नहीं थे, प्रायोगिक पक्ष की बात करने में वो अधिक सहज थे. दूसरा, इन शैलियों के कलाकार शहरी व्यक्तियों या शहरी चेतना से एक सांस्कृतिक दूरी भी बनाए रखते हैं अत: उस दूरी को पाट कर उनसे मनवांछित जानकारी एकत्र करना भी सरल नहीं रहता. चूँकि बातचीत लंबी करनी पड़ती है और काफी यात्रा भी इसलिये कार्य श्रमसाध्य रहा. सर्वेक्षण की प्रक्रिया में हमने एक नेटवर्क तैयार करने की भी कोशिश की. ताकि अभीष्ट जानकारी हम तक पहुँचने के श्रोत बढ़ जाये और समय की बचत हो. लेकिन अकादमी द्वारा लंबे समय तक इस परियोजना के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं लेने से नेटवर्क को क्षति पहुंची.

पहले चरण में हमने कुछ कलाकारों से बात की ती उसमें उल्लेखनीय बातचीत बृजाभार बाबा के नाम से ख्यात सिवपूजन गिरी से हुई थी जो पश्चिम चंपारण के बगहा में कैलाश नगर में रहते हैं. काफी दिनों से रेलवे लाइन के किनारे गाते इस शख्स द्वारा गाया गाथागायन कभी रिकार्ड होकर बिकता भी था. उन्होंने बताया कि वो गोरखपुर आकाशवाणी पर अपना रिकार्डिंग करा चुके हैं. इनके गायान में और कथावाचन में एक कशिश है जिसे मैंने उनेक पास कई बार बैठ कर महसूस किया है. दूर दूर तक कथा सुनाने जाते हैं. इनसे इनकी तरह के दूसरे गायकों के बारे में पूछने पर कहते हैं कि इस इलाके नें वो अकेले ही हैं. एक समान भाव से सोरठी बृजाभार, रानी सारंगा, भरथरी, बिहुला की कथा के साथ भजन भी गाते हैं. पूछने पर कि आप अपने आपको गायक मानते हैं या संत शिवपूजन गिरी कहते हैं कि वो संत है और सारी विधा उन्हें सरस्वती से प्राप्त है.

परियोजना के दूसरे चरण में पूर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण के व्यापक हिस्सों का भ्रमण हुआ और घूम घूम कर ऐसे कलाकारों का पता लगाया गया जो गाथायागन की परंपरा से जूड़े हैं. इस सर्वेक्षण में सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि ये अधिकांश कलाकार निचले तबके और जाति से थे. आर्थिक दिक्कतें थीं और सामाजिक पिछड़ापन भी था. आधुनिकता के दबाव और नई सांस्कृतिक रूपों ने इन कलाकारों की मांग भी घटा दी

इशलिए अधिकांश अब दूसरे पेशों की तरफ बढ़ गए. इस क्रम में कई मंडलियां बिखर गईं और  कई कलाकार पलायन कर गए. बहुत ही कम मंडलियां बची रह गई हैं जो जैसे तैसे चल रही हैं इनका मेहनताना कम है. दशहरे, छठ और मांगलिक कार्य में वैसे लोग जो कम आय वाले होते हैं इनको बुलाते हैं. कुछ कलाकार व्यक्तिगत कार्य करते हैं तो कुछ मंडलियों में. कुछ लोगों ने यह पेशा छोड़कर दूसरा ही पेशा अपना लिया है जैसे बिंदेश्वरी पटेल  जो पेशेवर बृजाभार गायक थे अब आर्केस्ट्रा चलाते है जिसमें वो बंगाल से लड़कियों को लाकर शादी आदि समारोहों में नचवाते हैं. सर्वे के दौरान हम गांव गांव घूम रहे थे और पता लगा रहे थे कि कहां ऐसे गायक मिलते हैं. पूर्वी चम्पारण के सुगौली ब्लॉक में सुकई मांझी का पता मिला. हम जब पहुंचे तो वो श्रम के पसीने में नहाए हुए थे, और हमसे बात करने के लिए तैयार हुए. उन्होंने बताया कि वो सोलह साल से बिहुला बृजाभार की टीम चला रहे हैं. उनकी टीम में मुख्य गायक मोहम्मद जान मियां, अमीन मियां इत्यादि थे. कथा गायक अमीन मियां थे वहीं टीम के कर्ता धर्ता थे. मंडली के प्रदर्शनात्मक पक्ष का दायित्व उन पर था. एक दिन वो अचानक टीम छोड़ कर चले गए तो टीम टूट गई. उनके जाने के बाद कुछ लोग काम की तलाश में बाहर चले गए. सुकई मांझी बताते हैं कि 'बिहुला बिहार में लोग सुनना नहीं चाहता है. पुराने लोग सुनते थे नए लोग नई बात सुनना चाहते हैं ये नहीं सुनना चाहते'.  वो ये भी कहते हैं कि टीम को चलाने में जो खर्च होता है वह भी पूरा नहीं पड़ता. क्योंकि गांव के कलाकार तो अपने घर पर रहकर भी अपने यहां खा कर काम करते हैं लेकिन बाहर के कलाकारों को रखने में अधिक खर्च होता है. टीम अब फिर से चालू हो पाएगा कि नहीं के जवाब में सुकई मांझी कहते हैं कि बाहर के आदमी लौट कर आए तो चालू हो सकता है. सुकई मांझी मंडली चलाने के साथ सब्जी और मछली पालन का व्यवसाय भी करते हैं. फिलहाल वो इसी पर ध्यान केंद्रित किये हुए हैं.

सुकई मांझी से हमें अमीन मियां का पता मिला, मोहम्मद जान मियां का पता नही मिल सका. अमीन मियां अपने घर के पास मिले. नमाज से फारिग होने  के बाद वो हमसे बात करने को तैयार हुए. अहवर के रामदेव से बिहुला सीखा, उनके साथ सीखा, आठ नौ बरस की उम्र से गाते हैं.  मुख्यत: गायक हैं कभी नाचा नहीं. उन्होंने बताया कि साटा के अनुसार पांच छ: सौ रुपये की एक रात की कमाई हो जाती थी. साटा का मतलब होता है अनुबंध, जहां कोई आपको पैसा देकर प्रदर्शन के लिए बुलाता है. साल भर में इस तरह के कितने अनुबंध मिल जाते हैं पूछने पर अमीन मियां बताते हैं कि 'साल के साटा का कोई लिमिट नहीं है बीस से तीस के बीच में. लेकिन अब कमाई नहीं है' . कमाई के कम होने के अलावा कला का त्याग घर बैठने का कारण अमीन मियां बताता हैं कि 'घर का काम काज नहीं हो पा रहा ता, वहां से पैसा नहीं मिल रहा था तो अंतत:

घर पर ही बैठ गए. घर के जाल, बाल बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.' अमीन मियां ने बताया कि वो खुद भी गाते ही थे और मंडली में जो नए लड़के आते थे उनके प्रशिक्षित भी करते थे. हमने उनसे आग्रह किया सुनाने का ताकि हम उनकी शैली रिकार्ड कर सके लेकिन वो सुना नहीं सके. उन्होंने बताया कि प्रदर्शनों में वो चार रात गाते थे लेकिन सब समय नहीं गाया जा सकता है. संवाद सुनाने के लिए भी तैयार नहीं हुए कहा कि 'साज बाज रही तो ही संवाद सुनाने का मजा है बिना साज का मजा नहीं'. प्रशिक्षण कैसे देते थे के जवाब में कहा कि 'प्रतिभा है तो अभ्यास की जरूरत है सीखाएगा कोई नहीं . हमको कथा याद है तो जिसका अभिनय है वो बीच मे करेगा अब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको उसकी भूमिका की प्रशिक्षण देना ही पड़ेगा.' अमीन मियां से अहवर कुड़िया के रामदेव का पता मिला, हम उनके घर पहूंचे लेकिन वो घर पर मिले नहीं हमने उनको जगदीशपुर के बाजार में खोजा लेकिन वो नहीं मिले. उनके घर से उनके बारे में जानकारी मिली. काफी वृद्ध हो चुके रामदेव जिनके सरंक्षण में कई कलाकारों ने काम किया वो अब घर पर ही रहते हैं.

तलाश के क्रम में हमारी मुलाकात सितम नेटुआ से हुई उन्होने समझा कि हम उनकी मंडली के साथ कैसेट बनाना चाहते हैं उन्होंन कैसेट बनाने की प्रक्रिया पर विस्तार से बात की. उन्होंने बताया कि बृजाभार की कहानी पांच दिन में खत्म होती है उसकी कहानी के बीतने के बाद उसी के जैसे बिहुला और उसके बीतने के बाद भर्तहरी, आसारांगी.. दुगुलिया.. होता है. उन्होंने बताया कि दशहरे में अभी भी उनकी मांग रहती है और वो प्रस्तुति करने अपने दल के साथ जाते हैं. उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया कि हम जैसा कैसेट चाहेंगे वो बना देंगे. हमने उनसे पूछा कि ओरिजनल कौन सी गाथा है ये कैसे पता चलेगा? इसके जवाब में सितम का कहना था कि सलीम मियां जो नेपाल के हैं उन्होंने जो बृजाभार का वीडियो बनाया है वह भी प्रामाणिक है. इसी तरह गंगा कैसेट से जो बिहुला की सीडी जारी हुई है वह भी ठीक वो प्रामाणिक है. नए लड़के जो इस पेशे में आते हैं इन वीडियो को देखकर भी सीखते हैं. मंडली चलाने वाले सितम के पास इन गाथाओं का कोई लिखित पाठ नहीं था, सब स्मृति में ही था.

सर्वे के दौरन पता चला कि गाथागायन की धार्मिक प्रवृति के बावजूद इसका प्रदर्शनात्मक स्वरूप सेकुलर है, दर्शन और प्रदर्शन दोनों ही स्तरों पर. मुस्लिम जहां प्रस्तुति में शामिल होते हैं वहीं दर्शक भी होते हैं. मो. सलीम के बनाए बृजाभार के वीडियो तो अत्यंत लोकप्रिय हैं, यूट्यूब पर इनको देखा जा सकता है.

अभी तक हमने विभिन्न आयु वर्ग और विविध शैलियों के जितने कलाकारों का आँकड़ा इकठ्ठा किया गया है उनका संकलन इस रिपोर्ट में किया जा रहा है. कुछ कलाकारों का चित्र भी प्रस्तुत कर रहे हैं.

## संकलित आँकडें

1. नाम – शिवपूजन गिरि

ग्राम- कैलाश नगर

थाना- बगहा

जिला- पश्चिम चम्पारण

शैली- बिहुला, बृजाभार, सारंगा-सदाबृज इत्यादी.

कार्य – इनको याद नहीं है.

जीविका का माध्यम- गाथा गायन

टिप्पणी- रेलवे लाइन के किनारे एक अस्थाई अड्डा है वहीं एकतारा और खंजड़ी के सहारे महफ़िल जमाते हैं. गाने के लिये निमंत्रण भी मिलता है तो गाँव गाँव घुमते भी हैं. कमाई का मुख्य जरिया गायकी ही है. इनके अनुसार गायकी इन्हें अपने आप सरस्वती के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है. इनकी लोकप्रियती काफी है. ये **बृजाभार बाबा** के नाम से मशहूर हैं.

2. नाम – अरूण कुमार निषाद

ग्राम- बगही,

थाना- दरपा, जिला- पूर्वी चम्पारण

कार्य – लगभग पाँच वर्ष से

जीविका का माध्यम- गाथागायन

टिप्पणी- कार्य से संतुष्टी है. दर्शकों का प्यार मिलता है, कभी कभी आक्रोश भी झेलना पड़ता है. पैसा लेकर स्टाफ भाग जाता है. चूँकि आय का साधन है इसलिये प्रेरणा भी मिलती है. संस्कृति को बचाने की भावना भी है.

पहले धार्मिक-सामाजिक नाटक दिखाया जाता था लेकिन अब ऑर्केस्ट्रा के कारण इन शैलियों विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है. यह चिन्ता का विषय है इसलिये इस कला को जीवित रखना चाहता हूँ.

3. नाम – दशई पासवान

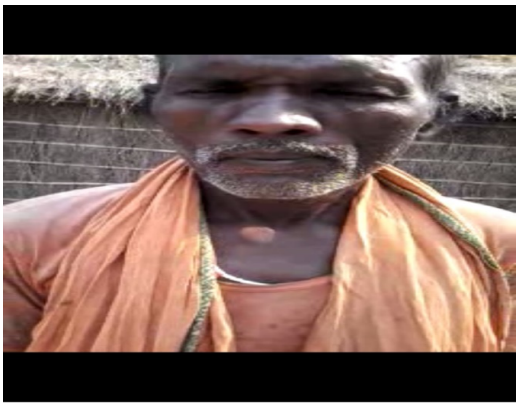

ग्राम- पजिअरवा

थाना- सुगौली

जिला- पूर्वी चम्पारण

शैली- आल्हा

कार्य – लगभग बीस वर्षों से

जीविका का माध्यम- किसानी और मजदूरी

टिप्पणी- संपूर्ण आल्ह खंड के गायक हैं. छप्पन किला. लोगों के आग्रह पर गाते हैं. पैसे के लिये नहीं गाते.

*Figure 1dashai paswan*

इसलिये कहीं पैसा मिलता है, कहीं नहीं मिलता. कोई गुरू नहीं है. स्वत: प्रेरणा से गाते हैं.

4. नाम – पटवारी यादव

ग्राम- पजिअरवा

थाना- सुगौली

जिला- पूर्वी चम्पारण

शैली- आल्हा

कार्य – लगभग बीस वर्षों से

जीविका का माध्यम- प्रवासी मजदूर

टिप्पणी- 52 किले की लड़ाई गाते हैं. इनके अनुसार लोक गाथा के श्रोताओं की कमी होती जा रही है और इससे कुछ कमाइ नहीं होती इसलिये गायक कम होते जा रहें है. इनके गुरू विपत यादव हैं.

5. नाम – विपत यादव

ग्राम- पजिअरवा

थाना- सुगौली

जिला- पूर्वी चम्पारण

शैली- आल्हा

कार्य – लगभग बीस वर्षों से

जीविका का माध्यम- सेवानिवृत सैनिक

टिप्पणी- पन्द्रह वर्षों तक गाया. सुनते सुनते अभ्यास से सीखा. अब भूल रहें हैं क्योंकि बहुत दिनों से अभ्यास छोड़ दिया.

6. नाम – युनुस देवान

ग्राम- गम्हरिया

थाना- बंजरिया

जिला- पूर्वी चम्पारण

शैली- बिहुला

कार्य – लगभग पन्द्रह वर्षों से

जीविका का माध्यम- मजदूरी

टिप्पणी- मंडली में दो थे. एक की मृत्यु हो गई उसके बाद गाना छोड़ दिया. अभी भी गाने की इच्छा है. और सीखाना भी चाहते हैं लेकिन कोइ नहीं मिलता. इनके अनुसार सुनने वालों की कमी नहीं अगर प्रोत्साहन मिले तो अभी भी लोगो को सुना सकते हैं. पहले लोकगाथा के प्रचार और जीविका के लिये गाते थे. लेकिन अब इससे जीविका नहीं चलती इसलिये मजदूरी करने लगे. काफी कमजोर भी हो गये हैं.

7. नाम – जगदीश कुर्मी

ग्राम- नरीर गीर

थाना- रामगढ़वा

जिला- पूर्वी चम्पारण

शैली- बिहुला

कार्य – लगभग पन्द्रह वर्षों से

जीविका का माध्यम- मजदूरी

टिप्पणी- युनुस देवान के साथ रहकर गाया. पर इससे जीविका नहीं चलती थी. थोड़ी खेती है मजदूरी भी करते हैं. "लोग उस समय बड़े चाव से सुनते थे. अब नये नये किस्म के गाने वाले आ गये हैं, नाचने वाले आ गये हैं. लोगों का मन बदल गया है, दुनिया बदल गई है. अब हम लोगों को कौन पूछेगा"

8. सुकई मांझी...

ग्राम- भटहा, पंचायत,

थाना- सुगौली ब्लाक, थाना सुगौली

जिला- पूर्वी चम्पारण

शैली- बिहुला, बृजाभार

कार्य – लगभग चालीस वर्षों से

जीविका का माध्यम- मछली पालन

*Figure 2 सुकई मांझी*

टिप्पणी- लगभग चालीस वर्ष से नाच में हैं. दस वर्ष की उम्र में नाच में आ गए थे. गवैया से शुरू किया था बाद में फिर नगाड़ा बजाने लगे उनका कहना है कि 'गाने का अभ्यास होगा तो बजाना आएगा'. टीम के लोग कमाई के लिए बाहर चले गए हैं. इसलिए टीम टूट गई है. नए लड़के इस पेशे और कला में आना ही नहीं चाहते.

9. अमीन मियां

ग्राम - भटहा कचहरी

थाना सुगौली

जिला- पूर्वी चम्पारण

शैली- बिहुला, बृजाभार

कार्य –लगभग चालीस साल से.

टिप्पणी- गाथागायक है. नौ दस वर्ष की उम्र से गाते हैं. पश्चिमी चंपारण जिले के अहवर गांव के रामदेव से बिहुला सीखी. नाच से कमाई नहीं हो पाती थी, और घर का कामकाज नहीं हो पा रहा था, तो नाच छोड़कर पूरी तरह घर पर बैठ गए हैं. अब घर पर ही रहते हैं. जब नाच में थे तो कथा का मंचन के साथ नए लड़कों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी थी, अब तो नए लड़के भी नहीं आते. गोरख राम , मालिक, दुधही टाल, हरसिद्धि ब्लाक, 9801674407

10. सितम मियां

ग्राम- धनखडाइयाँ

थाना – हरसिद्धि

जिला - पूर्वी चम्पारण

शैली- बिहुला, बृजाभार, सारंगा सदाबृत

कार्य- तीस सालों से

टिप्पणी- अपनी मंडली चलाते हैं. ठीक ठाक 'साटा' यानी अनुबंध मिल जाता है. मंडली के लोगों को जोड़ कर रखने की कोशिश करते हैं.

11. रामपुकार महतो

ग्राम- लौकरिया

थाना- पलनवा

जिला- पश्चिमी चम्पारण

टिप्पणी- नाचते हैं, बचपन से नाच रहे हैं. सितम मियां की मंडली में काम करते हैं.

12. शर्मा पंडित

ग्राम- स्मरबारी पूर्वी

थाना - मैनाटांड़

कार्य- इनको स्मरण नहीं है.

टिप्पणी- बृजाभार गायक हैं. सितम मियां की टीम में काम करते हैं.

13. इस्लाम मियां

ग्राम – धनखडाइयाँ

थाना- हरसिद्धि

जिला- पूर्वी चम्पारण

कार्य- स्मरण नहीं है.

टिप्पणी- सोरठी बृजाभार में हेवन्ति की भूमिका करते हैं. सितम मियां की मंडली में काम करते हैं.

**सितम मियां की मंडली के अन्य सदस्य इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी. मंडली के पास कोई अनुबंध नहीं था तो ये लोग अपने घर चले गए थे. बस इतनी जानकारी मिल पाई कि ये कौन सी भूमिका करते हैं.**

14. उमेश राम - गाथा- बिहुला बृजाभार

भूमिका- बिहुला

15. लालू पासवान- गाथा- बिहुला बृजाभार

भूमिका- बिशहर

16. किशोरी राम - बिहुला बृजाभार

भूमिका- बाला

17. राजू मल्ली- गाथा- बिहुला बृजाभार

भूमिका- नागिन

18. रामदेव

ग्राम- अहवर कुड़िया

थाना- जगदीशपुर

जिला- पश्चिमी चंपारण

टिप्पणी- इनसे मुलाकात कई कोशिशों के बाद भी नहीं हो सकी.

19. बिंदेश्वरी पटेल

ग्राम – देवदतवा

थाना- सुगौली

जिला- पूर्वी चम्पारण

कार्य- तीस सालों से

टिप्पणी- बृजाभार और बिहुला की मंडली में काम करते थे, बाद में अपनी मंडली बनाई लेकिन बीमार पड़ गए और मंडली नहीं चला सके. कोई और काम नहीं जानते हैं इसलिए आर्केस्ट्रा मंडली बनाई है. अभी भी गाथा याद है और कहानी सुना सकते हैं. मंडली क्यों नहीं चलाते के जवाब में उनका कहना है कि अब लोग गाथागायन नहीं देखना चाहते हैं और लोग जो पसंद कर रहें वहीं पेशा जीविका के लिए कर रहे हैं.

20. रामायण राम

टिप्पणी- रामायण हमें अहवर जाने के रास्ते में मिल गए. इन्होंने बताया कि पहले ये भी बृजाभार, बिहुला और नाच मंडली में काम करते थे लेकिन आर्केस्ट्रा में काम करते हैं. नर्तक हैं और ऑर्केस्ट्र के कार्यक्रम में स्टंट वाले डांस करते हैं, इन्होंने अपने बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया.

प्रस्तुतकर्ता

अमितेश कुमार

9990366404

Amitesh0@gmail.com